आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम एस.वी. बलराम
ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 1375

राज्य

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुछ वर्ष पहले नियुक्त किए गए पिछड़े वर्गों के आयोग ने 20 जून, 1970 को ऐसे व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी जो पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित माने जाएंगे तथा उसने पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की सिफारिश की थी। उक्त आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए थे:-

(1) पूरे वर्ग अथवा समुदाय में आमतौर पर व्याप्त गरीबी।

(2) निकृष्ट, अस्वच्छ, अशोभनीय और अलाभकर प्रकृति की उपजीविकाएं अथवा कोई ऐसी उपजीविका जिसका कोई असर या शक्ति न हो।

(3) हिन्दुओं के सम्बन्ध में जाति।

(4) शैक्षिक पिछड़ापन।

उक्त राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तारीख 23 सितम्बर, 1970 के शासनादेश सं. 1793 एज्यूकेशन द्वारा उन विभिन्न पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण कर दिया था जिनके नामों का उल्लेख उक्त आदेश में किया गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्रमशः 14 और 4 था।

उक्त राज्य के आयोग द्वारा किए गए पिछड़े वर्गों के निरूपण और 20 प्रतिशत सीटों का आरक्षण करने वाले सरकार के पश्चातवर्ती आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने यह अभिनिर्धारित किया कि वे अनुच्छेद 15(1) और 129(2) का अतिक्रमण करते हैं तथा अनुच्छेद 15(4) से उनकी बचत नहीं होती। इस तर्क का आधार यह था कि उक्त आयोग ने पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने में ''जाति'' को आधार बनाया था।

अपील पर मामला उच्चतम न्यायालय में आया था।

विवाद्यक

(1) क्या ''जाति'' पिछड़े वर्गों की गणना का आधार बनाई जा सकती है?

(2) क्या आरक्षण की प्रमात्रा अत्यधिक थी?

उद्धरण

न्यायमूर्ति समलिंगम

68. उक्त आयोग द्वारा तैयार की गई सूची सरकार द्वारा भी पूर्णतः मान ली गई थी और उसने यह घोषित किया था कि उक्त शासनादेश ने विनिर्दिष्ट जातियां और समुदाय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के प्रयोजनार्थ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं। हालांकि आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए व्यावसायिक कालेजों में 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की सिफारिश की थी तो भी सरकार के उक्त आदेश के अनुसार यह निर्णय था कि पिछड़े वर्गो के लिए व्यावसायिक कालेजों में केवल 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएं। सरकार ने उक्त आयोग की यह सिफारिश भी मान ली थी कि पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण चार समूहों में किया जाए और यह निर्देश दिया था कि व्यावसायिक कालेजों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों का विभाजन उक्त चार समूहों में उनकी जनसंख्या के आधार पर उस अनुपात में किया जाए जिसका उल्लेख उक्त शासनादेश में किया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उक्त आयोग की आरक्षण सम्बन्धी सिफारिशों के प्रति उसकी स्वीकृति प्रथमतः 10 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी, उसके बाद स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा।

69. हमने उन परिस्थितियों पर ध्यान दिया है जिनके कारण 1970 का आक्षिप्त शासनादेश सं. 1793 पारित किया गया है; उक्त आयोग के प्रस्तावों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा की गई आलोचना का मूल्यांकन करने के लिए उसकी रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पिछड़े वर्गों के आयोग की रिपोर्टे अनुबन्ध ''ख'' के रूप में हमारे सामने है। आयोग ने अपनी नियुक्ति होते ही एक प्रश्नावली जारी की थी जो उसकी रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न प्राधिकरणों और संगठनों में व्यापक रूप से परिचालित की गई थी। उक्त प्रश्नावली में अनेक ऐसी बातें हैं जो व्यक्तियों के पिछड़ेपन का अभिनिश्चय करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्डों तथा व्यक्तियों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन से सम्बध्द मामलों के बारे में सूचना से सम्बन्ध रखती है। आयोग ने उक्त प्रश्नावली का वितरण करने के अतिरिक्त सभी सरकारी विभागों के अध्यक्षों से भी इस सम्बन्ध में सूचना मांगी थी कि प्रत्येक वर्ग अथवा समुदाय से सम्बन्धित कितने व्यक्ति उनके विभागों में नियुक्त हैं। उसने कालेजों के, जिनमें व्यावसायिक प्राविधिक कालेज भी

शामिल थे, प्रधानाचार्यों से भी इस सम्बन्ध में सूचना मांगी थी कि 1967-68 के शैक्षिक वर्ष में उनके कालेजों में प्रत्येक वर्ग अथवा समुदाय की छात्रों की कितनी-कितनी संख्या थी। इस प्रकार उक्त राज्य के सभी हाई स्कूलों तथा बहुद्देश्यीय हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से भी आयोग ने इस सम्बन्ध में सूचना देने का अनुरोध किया था कि उनके स्कूलों में पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक समुदाय के कुल कितने-कितने छात्र पढ़े थे और 1968-69 के शैक्षिक वर्ष में उन छात्रों की वर्गवार और समुदायवार संख्या कितनी-कितनी थी जो छठी से ग्यारहवीं तक की कक्षाओं में पढ़ते थे।

70. आयोग ने उक्त राज्य के सभी जिलों का दौरा किया था और अनेक समुदायों के प्रतिनिधियों से शपथ पर लिए गए साक्ष्य रिकार्ड किए थे। जिलों के दौरे के दौरान उक्त आयोग विभिन्न समुदायों के घरों और झोपड़ियों में भी गए थे और उन्होंने उनमें रहने वाले व्यक्तियों से उनके रहन-सहन की स्थिति, रिवाजों, अन्य समुदायों के साथ सम्बन्धों और उनकी समस्याओं के बारे में मौखिक पूछताछ भी की थी। आयोग ने जिन-जिन स्थानों का दौरा जिन-जिन तारीखों को किया था उनका ब्यौरा उसकी रिपोर्ट के परिशिष्ट IV में दिया गया है। आयोग ने पडोसी राज्यों मद्रास, मैसूर और केरल का भी दौरा किया ताकि वे उन सरकारों के उन अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर सकें जो पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यों से सम्बन्ध्द थे। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न स्थानों के लगभग 820 व्यक्तियों से पूछताछ की गई और लगभग 480 व्यक्तियों ने लिखित ज्ञापन प्रस्तुत किए। आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली के जनता से एक बड़ी संख्या में उत्तर प्राप्त हुए थे। उक्त आयोग का कथन है कि ग्रामों के दौरे और दर्शन के दौरान उन्हें विभिन्न समुदायों के रहन-सहन की स्थिति और स्तर का अध्ययन करने का अवसर मिला था। आयोग ने निस्सन्देह इस तथ्य का निर्देश किया है कि उन्हें विभिन्न समुदायों की जनसंख्या तथा उनमें साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशतता से सम्बन्धित अद्यतन सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध नहीं थी। 1931 की जनगणना के बाद जातिवार आंकड़े इकट्ठे न किए जाने के कारण कठिनाई और बढ़ गई। जहां तक आन्ध्र क्षेत्र का सम्बन्ध है 1921 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध थे। तेलंगाना क्षेत्र के सम्बन्ध में 1931 की जनगणना के जातिवार आंकड़े उपलब्ध थे। आयोग को उक्त दोनों क्षेत्रों की 1968 में जनसंख्या का प्राक्कलन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर करना पड़ा था। आयोग ने 1968 में प्रत्येक जाति की जनसंख्या का निर्धारण कुल जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की प्रतिशतता की सहायता से किया था। आयोग द्वारा किया गया यह प्राक्कलन उक्त रिपोर्ट के परिशिष्ट V में दिया गया है।

71. साक्षरता के सम्बन्ध में आयोग ने पूरे राज्य की औसत छात्र संख्या के सापेक्ष वर्ग अथवा समुदाय विशेष में प्रति हजार दसवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के छात्रों की प्रतिशतता अपनाई थी। जिन कारणों से यह कार्यविधि अपनाई गई वे अध्याय VI में दिए गए हैं। हालांकि दसवी और

ग्यारहवीं कक्षाओं में प्रत्येक समुदाय के छात्रों की संख्या के सम्बन्ध में उक्त राज्य के लगभग 2224 हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सूचना मांगी गई थी परन्तु केवल 50 प्रतिशत संस्थानों ने अपेक्षित सूचना भेजी थी। आयोग ने उक्त संस्थानों के 50 प्रतिशत से, जो 1100 स्कूलों की अपेक्षा कुछ ज्यादा है, प्राप्त उत्तरों के आधार पर एक औसत निकाला था। रोजगार के सम्बन्ध में हम आयोग द्वारा संगृहीत आंकड़ों का हवाला देना आवश्यक नहीं समझते। आयोग ने स्वयं उन कठिन समस्याओं का उल्लेख किया है जो उसे सुलझानी पड़ी थी।

72. अध्याय IV और V पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित संविधानिक उपबन्धों तथा उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के अभिनिश्चय के लिए उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों के बारे में है।

73. अध्याय IV आयोग द्वारा व्यक्तियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के अभिनिश्चय के लिए अपनाए गए मानदण्डों अथवा कसौटियों के बारे में है। संबंधित व्यक्तियों के व्यापार अथवा उपजीविकाओं तथा अन्य सहयोगी बातों का अतिव्यापक सर्वेक्षण करने के बाद सामाजिक पिछड़ेपन के बारे में उक्त आयोग ने यह उल्लेख किया है कि जाति अथवा समाज के केवल ऐसे व्यक्ति पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण में समूहबद्ध किए जा सकते है जो परम्परागत रूप से अस्वच्छ और अशोभनीय उपजीविकाओं को अपनाते चले आए हैं। इस सम्बन्ध में आयोग ने पूरे वर्ग अथवा समुदाय में आमतौर पर व्याप्त गरीबी नागरिकों के वर्ग द्वारा अपनाई गई उपजीविका, जो निकृष्ट और अस्वच्छ, अशोभनीय अथवा अलाभकर मानी जाती अथवा जिसका कोई असर या शक्ति नहीं होती, और हिन्दुओं के संबंध में जाति, पर ध्यान दिया है।

74. शैक्षिक पिछड़ेपन के संबंध में आयोग ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि विगत 10 वर्षों में उक्त राज्य सरकार ने शिक्षा को बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य, तथा आठवीं कक्षा तक लड़कों और ग्यारहवीं कक्षा तक लड़कियों के लिए निःशुल्क बनाकर अपनी जनता की व्यापक शैक्षिक समुन्नति के अनेक उपाय किए है। उसने इस तथ्य का ध्यान रखा है कि वर्ष 1968-69 से लड़कों की शिक्षा को हाई स्कूल तक निःशुल्क कर दी गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में समुन्नति होने के कारण अब हाई स्कूल की अन्तिम कक्षा (ग्यारहवीं) में सफलता, लोक सेवा में नियुक्ति तथा विश्वविद्यालय और प्राविधिक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता मानी जाती है, आयोग की राय यह है कि शैक्षिक पिछड़ेपन का अधिनिश्चय करने के लिए अन्तिम दोनों कक्षाओं, यथा दसवीं और ग्यारहवीं, को मानक बनाना उचित है। इस संबंध में उसने जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नियुक्त की गई, पिछड़े

वर्गों की समिति, जिसकी अध्यक्षता भारत के भूतपर्व मुख्य न्यायमूर्ति डा. पी.बी. गजेन्द्रगडकर ने की थी, की रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस समिति ने यह राय व्यक्त की है कि शैक्षिक पिछड़ेपन के अवधारण के लिए नवीं और दसवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या अभिनिश्चित की जानी चाहिए। उक्त समिति ने इस प्रकार की राय व्यक्त करने के जो कारण बताए थे उनका हवाला उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। उसके बाद आयोग ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि उक्त राज्य में दसवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं में औसत छात्र संख्या लगभग प्रति हजार 4.55 है। इस आधार पर वे इस सिद्धांत को लागू करने की और अग्रसर हुए है कि वे समुदाय जिन के छात्रों की संख्या इन कक्षाओं में राजकीय औसत से काफी कम है शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए मान लिए जाए। यहां आयोग ने पुनः इस तथ्य का हवाला दिया है कि छात्र संख्या के संबंध में केवल 50 प्रतिशत स्कूलों से आंकड़े उपलब्ध होने के कारण उन्हें उन्हीं आंकड़ों के आधार पर पूरे राज्य पर लागू होने वाला औसत निकालना पड़ा है। यद्यपि स्कूलो से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि कतिपय समूहों में शिक्षा का स्तर किचित ऊंचा है तथापि आयोग का विश्वास है कि स्कूलों द्वारा प्रदत्त उक्त प्रतिशतता के आंकड़े बिल्कुल सही नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने उनके रहन-सहन की परिस्थितियों को स्वयं देखा है। इस बात को ध्यान में रखकर आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वे शिक्षा की दृष्टि से वास्तव में पिछड़े हुए है।

75. अध्याय VII में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची दी गई है और इनमें से प्रत्येक ग्रुप के संबंध में विस्तार से टिप्पणी दी गई है कि आयोग इन्हें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्यों समझता है। उस अध्याय में आयोग ने ग्रुपों के नामों, उन ग्रुपों के उप-विभाजनों, उनके परम्परागत व्यवसायों और उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित अन्य विभिन्न मामलों की भी विस्तार से चर्चा की है। परिशिष्ट VI में जिसमें कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की मदवार सूची दी गई है, एक सारणीबद्ध विवरण दिया गया है जिसमें समुदाय के नाम, उसके परम्परागत व्यवसाय और 1968 में उसकी जनसंख्या संबंधी सूचना दी गई है,। ऐसे प्रत्येक वर्ग के बारे में जिसे आयोग ने पिछड़े वर्ग के रूप में माना है, परिशिष्ट VII में टिप्पणी दी गई है। परिशिष्ट VII में, मुख्य व्यवसाय, परिवार की अनुमानित आय, विशेष ग्रुपों में स्कूल जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता और सूची में उल्लिखित व्यक्तियों के बारे में अन्य विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। परिशिष्ट VI और VII को देखने से यह पता चलता है कि जिन व्यक्तियों को पिछड़ा हुआ माना गया है उनके परम्परागत व्यवसाय काफी निम्न कोटि के थे जैसे-भिखारी, धोबी, मछुआरे, श्मशानों में चौकीदार, आदि। आयोग ने इनके लिए सरकारी सेवा में आरक्षण के संबंध में सिफारिशें की थी और उसने पिछड़े वर्गो को दी जाने वाली अन्य सहायता के बारे में भी सिफारिश की थी। इन अपीलों में उन सिफारिशों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। इन

अपीलों के प्रयोजनों के लिए केवल यही पता देना आवश्यक है कि त्रिलोकीनाथ टिकू बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई थी (1967) 2 एस.सी.आर 265 (ए. आई. आर. 1967 एस.सी. 1283)

85. हमें विभिन्न प्रकार के निर्णय विशेषकर उस न्यायालय के निर्णय भेजे गए है जिनमें संबंधित राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए किए गए आरक्षण या तो वैध रूप से स्वीकार कर लिए गए है या अभिखंडित कर दिए गए है। किन्तु हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि उन निर्णयों का उल्लेख किया जाए क्योंकि प्रत्येक मामले में उसके गुणदोष के आधार पर विचार किया जाएगा और जब यह निश्चित हो जाएगा कि कुछ व्यक्ति हैं जिनसे पिछड़े वर्ग बन सकते हैं तो आयोग या राज्य द्वारा एकत्रित की गई सामग्री के प्रकार का पता लग जाने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। किन्तु एक बात स्पष्ट है कि यदि समूची जाति हीं सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से वास्तव में पिछड़ी हुई पाई जाए, तो उस जाति के नाम को पिछड़े वर्गो की सूची में शामिल किया जाना अनुच्छेद 15(4) का उल्लंघन नहीं है।

87. (1968) 3 एस सी आर 595-(ए.आई.आर. 1968 एस सी 1397) में मात्र जाति के आधार पर आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा तैयार की गई इसी प्रकार की सूची को अभिखंडित कर दिया गया। त्रिलोकीनाथ बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1969) एस सी आर 103-(ए आई आर 1969 एस सी आई) के मामले में इस न्यायालय के संविधानिक न्यायपीठ ने यह निर्णय किया कि किसी समूची जाति और समुदाय के सदस्य दिए गए समय में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हो सकते हैं और इसी कारण से उन्हें पिछड़े वर्ग का माना जा सकता है किन्तु ऐसा इसलिए नहीं कि वे अमुक जाति या समुदाय के सदस्य हैं बल्कि इसलिये कि उनका एक वर्ग है। अतः यह स्पष्ट हैं कि किसी समूची जाति या समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होने के उदाहरण हो सकते हैं जिसे अनुच्छेद 15(4) के अधीन संरक्षण दिये जाने के बारे में विचार किया जाना चाहिये।

89. उच्च न्यायालय ने एक गलती और की है जिसमें उसने इस आधार पर कार्यवाही की है कि जिन ग्रुपों को राज्य द्वारा तैयार की गई 1963 और 1966 की सूचियों में जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया था पिछड़े वर्गों के रूप में शामिल किया गया था उन्ही ग्रुपों को आयोग ने तैयार की गई वर्तमान सूची में फिर से शामिल कर लिया है। उच्च न्यायालय का ध्यान इस मूल तथ्य की ओर नहीं गया है कि उच्च न्यायालय ने इन दोनों सूचियों को इस आधार पर अभिखंडित किया था कि राज्य ने न तो उचित जांच-पड़ताल की है और न इन ग्रुपों को पिछड़े वर्गो में वर्गीकृत करने से पहले राज्य ने उचित सामग्री एकत्रित की है। वस्तुतः इस न्यायालय ने भी आन्ध्र

प्रदेश उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय की पुष्टि की है जिसमें उसने (1968) 3 एस पी आर 595-(ए आई आर 1968 एस सी 1379) में किये गए अपने निर्णय में 1966 को सूची की अभिखंडित किया था। हालांकि हम उच्च न्यायालय के इस निर्णय से सहमत नहीं है कि आयोग का इन ग्रुपों को पिछड़े वर्गों में मानना मात्र जाति के आधार पर है, फिर भी हम यह मानते हैं कि उच्च न्यायालय उस दृष्टि से सही है। इस न्यायालय के दो निर्णय ऐसे है जिनमें जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों की तैयार की गई सूची को वैध माना गया है। यह न्यायालय, निस्सन्देह, प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर इस बात से सन्तुष्ट था कि पिछड़े वर्गों के रूप में जाति का वर्गीकरण न्यायोचित है।

93. इस न्यायालय का अगला निर्णय, जिससे जाति के आधार पर तैयार की गई सूची को इस आधार पर कि समूची जाति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, अनुच्छेद 15(4) के अनुसार वैध स्वीकार किया गया था, ए आई आर 1971 एस सी 2303 है। इस निर्णय में मेडिकल कालेजों के लिए सीटों के यूनिटवार वितरण को इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताते हुए अभिखंडित कर दिया तथा किन्तु पिछड़े वर्गों की सूची को, जिस पर यह आपत्ति की गई थी कि यह केवल जाति के आधार पर तैयार की गई है, वैध मान लिया गया। इस न्यायालय ने (1963) पूरक (1) एस सी आर 439-(ए आई आर 1963 एस सी 649) और (1964) 6 एस सी आर 368- (ए आई आर 1964 एस सी 1823) में किए गए निर्णयों को देखने के बाद यह निर्णय किया कि अनुच्छेद 15(4) के प्रयोजन के लिए किसी वर्ग के बारे में सुनिश्चित करने का जाति हीं संगत आधार है। इसके अनुमोदन के साथ (1968) 2 एस सी आर 786-(ए आई आर 1968 एस सी 1012) में किए गए निर्णय का हवाला दिया गया और उक्त निर्णय को इस निर्देश का प्राधिकार मानकर उस पर विश्वास कर लिया गया कि जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत है, यदि उन जातियों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ दिखाया गया हो। पिछड़े वर्गों की सूची को देखने के बाद, जिस पर आपत्ति की गई थी, इस न्यायालय ने यह निर्णय किया कि हालांकि यह सूची जाति के आधार पर तैयार की गई है, फिर भी यह किसी कमी से ग्रस्त नहीं है क्योंकि समूची जाति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई थी। इस आधार पर पिछड़े वर्गों की सूची वैध मानी गई। यह उल्लेखनीय है कि जिस सूची पर आपत्ति की गई थी न्यूनाधिक रूप से काफी हद तक उसी प्रकार की थी जिसे इस न्यायालय ने (1968) 2 एस सी आर 786-(ए आई आर 1968 एस सी 1012) में वैध माना था।

94. इस अवस्था में यह उल्लेखनीय है कि शूरू में आन्ध्र प्रदेश राज्य मिले-जुले मद्रास राज्य का भाग था। हमने 1970 की रिट याचिका संख्या 285 में अभिलेख पुस्तिका भेजी थी, जिसका निर्णय (1968) 2 एस सी आर 786- (ए आई आर 1968 एस सी 1012) में सूचित किया

गया है। उक्त निर्णय में जिस सूची पर आपत्ति की गई थी, किन्तु जिसे इस न्यायालय ने सही माना था, उसकी तुलना उस सूची से करने पर जिसके संबंध में हमारे समक्ष आक्षेप किया गया है, हमें यह पता चला है कि जिन ग्रुपों को मद्रास राज्य द्वारा सूची में शामिल किया जाना वैध माना गया था, उनमें से अधिकांश ग्रुप आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा नियुक्त किए गए पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की गई सूची में भी मौजूद है।

95. अंत में, हालांकि पिछड़े वर्गों की सूची का, जिसके संबंध में हमारे समक्ष आक्षेप किया गया है, प्रत्यक्षतः जाति के आधार पर होना माना जा सकता है, किन्तु उसकी सम्यक जांच करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सूची ऐसे विशेष व्यवसाय या पेशा करने वाले समुदाय का वर्णन मात्र है, जिसका आयोग ने विस्तार से उल्लेख किया है। इस धारणा के बावजूद कि सूची केवल जाति के आधार पर है, आयोग को जो तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं और उसने अपनी रिपोर्ट में जो कारण दिए है उनसे यह स्पष्ट है कि समूची जाति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है और इसलिए उन्हें पिछड़े वर्गो की सूची में शामिल किया जाना अनुच्छेद 15(4) के अनुसार न्यायोचित है। उसमें उल्लिखित ग्रुपों को पिछड़े वर्गो की सूची में शामिल किया गया है क्योंकि वे उन कसौटियों पर पूरे उतरे हैं जो कि किसी वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होने के बारे में अभिनिश्चय करने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई है।

96. आयोग ने 1921 और 1931 की जनगणना पर आधारित जनसंख्या के आंकड़ों को ध्यान में रखे जाने के संबंध में बहुत अच्छे कारण दिए है। कक्षा X और XI के छात्रों के औसत संख्या लेने के लिये यह उचित भी था विशेषकर इसलिए कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने जिसकी अध्यक्षता भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति डा. पी.वी. गजेन्द्रगड़कर ने की थी, उक्त प्रक्रिया को स्वीकार किया है। उस समिति ने कक्षा IX और X के छात्रों के औसत को ध्यान में रखा था। निर्णय किए गए मामलों में किसी वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होने के बारे में अभिनिश्चय करने के सिद्धांत निर्धारित किए गए है। इस मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग ने सूची में किसी विशेष ग्रुप को पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने के पहले विभिन्न पहलुओं के संबंध में आंकड़े एकत्र करने में काफी परिश्रम किया है।

97. इस संबंध में यह आलोचना की गई है कि आयोग ने किसी विशेष ग्रुप को पिछड़ा बताने के प्रयोजन के लिए निजी जानकारी का उपयोग किया है। मामले की परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य है और इसमें कुछ भी अनुचित या गैर-कानूनी नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों की झोपड़ियों और निवास-स्थानों को देखने के पीछे आयोग का मुख्य उद्देश्य यह

पता लगाना है कि वे वास्तव में किस स्थिति में जीवन-निर्वाह करते है। आयोग ने किसी तरह जो भी जानकारी एकत्र की है वह गुप्त रूप से नहीं बल्कि खुलेआम एकत्र की गई है। वास्तव में वे किस स्थिति में जीवन-निर्वाह करते हैं और उनके निवास स्थान कैसे है इस संबंध में उन क्षेत्रों को व्यक्तिगत रूप से देखने पर ही सन्तोषजनक रूप से निर्णय किया जा सकता है। उनको देखने से सही स्थिति का पता लग जाएगा कि वे किस स्थिति में और किस वातावरण में रहते हैं। ब्यौरेवार जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप एकत्र की गई अन्य विभिन्न प्रकार की सामग्री में वृद्धि करने के लिए यदि आयोग के सदस्यों द्वारा प्राप्त की गई निजी जानकारी का उपयोग भी किया गया है, तो केवल इसी आधार पर कि उन्होंने निजी जानकारी का उपयोग किया है, यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग की रिपोर्ट में कोई त्रुटि है। हमारे विचार से उच्च न्यायालय आयोग के प्रति निष्पक्ष नही हैं, जब वह कहता है कि जब-जब आयोग को कुछ ग्रुपों के संबंध में, उनके शैक्षिक स्तर के संबंध में राज्य के औसत से अधिक आंकड़े प्राप्त हुए है, तभी उसने निजी जानकारी का उपयोग करके उस अड़चन को समाप्त करने का उत्तम तरीका अपनाया है। वस्तुतः आयोग ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि विभिन्न स्कूलों से प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि कुछ छोटे ग्रुपों के संबंध में शिक्षा की प्रतिशतता राज्य के औसत से कुछ अधिक है किन्तु इस तथ्य को देखते हुए कि उनके जीवन-निर्वाह की स्थिति काफी सोचनीय है उनकी असुविधा की तुलना में साक्षरता की कुछ अधिक प्रतिशतता का कोई महत्व नहीं है।

98. इस आलोचना के संबंध में कि आयोग ने वर्गों को अधिक पिछड़े हुए और कम पिछड़े हुए वर्गों में विभाजित कर दिया है, हमारी यह राय है कि इस बात का भी कोई उचित आधार नहीं है। दूसरी और आयोग ने आरक्षित वर्गों में उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के वितरण की सिफारिश की है। यह पिछड़े वर्गों का अधिक पिछड़े हुए और कम पिछड़े हुए रूप में विभाजन नहीं है। यह ऐसा मामला है जिस पर इस न्यायालय ने (1963) पूरक (1) एस सी आर 439-(ए आई आर 1983 एस सी 649) में कार्रवाई की थी।

100. निस्संदेह हमारा ध्यान केरल उच्च न्यायालय के उस निर्णय की और दिलाया गया जिसमें यह निर्णय किया गया है कि अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने वाले पिछड़े वर्गों के कुछ उम्मीदवारों पर ध्यान न देते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का इस संबंध में कुछ अलग दृष्टिकोण है। यदि यह स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किये गए ग्रुपों के उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अधिक सीटें प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो इस संबंध में हम यह कह सकते हैं कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह ऐसे ग्रुपों के लिये और सीटें आरक्षित करने के प्रश्न की समीक्षा करे। इस पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि

सरकार को केवल इस आधार पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिये कि जिस वर्ग को एक बार पिछड़ा वर्ग मान लिया गया है वह हमेशा पिछड़ा ही बने रहे। यदि किसी समय किसी वर्ग के वारे में ऐसा प्रतीत हो कि वह प्रगति के उस स्तर पर पहुंच गया है जिससे निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि उसे और संरक्षण आवश्यक नहीं है, तो राज्य ऐसे उदाहरणों की उचित समीक्षा करेगा और पिछड़े वर्गों की सूची में उचित रूप से संशोधन करेगा। वस्तुतः इस न्यायालय द्वारा ए आई आर 1971 एस सी 2303 में यह सूचित किया गया कि पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों ने सामान्य पूल में लगभग 50% सीटें प्राप्त की है। इस आधार पर इस न्यायालय ने यह निर्णय नहीं किया था कि पिछड़े वर्गों के लिए किया गया और आरक्षण अवैध है। दूसरी ओर यह निर्णय किया गया:-

> ''यह तथ्य कि सामान्य पूल में पिछड़े वर्गो के उम्मीदवारों ने लगभग 50% सीटें प्राप्त की है, इस बात का द्योतक नहीं है कि इस प्रश्न पर नए सिरे से व्यापक रूप से विचार करने का समय आ गया है। यह स्मरण रहे कि इस संबंध में सरकारी निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए विचाराधीन है।''

ऊपर दिए गए कारणों के आधार पर हमारा यह मत है कि पिछड़े वर्गों की सूची और उक्त सूची मे उल्लिखित व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक कालेजों में 25% सीटों का आरक्षण वैध है और संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार है। हम उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए कारणों से सहमत नहीं है कि उक्त सरकारी आदेश से संविधान के अनुच्छेद 15(4) का उल्लंघन हुआ है।

निर्णय

(1) हालांकि इस संबंध में पिछड़े वर्गों की जिस सूची का विरोध किया गया है उसे प्रत्यक्षतः ''जाति'' पर आधारित माना जा सकता है, फिर भी उसे सूक्ष्मता से देखने पर यह पता चलेगा कि उसमें केवल आयोग द्वारा उल्लेख किये गए व्यवसायों और पेशों के करने वाले ग्रुपों का ही वर्णन है। इस धारणा के बावजूद कि सूची केवल जाति पर आधारित है, आयोग को प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट है कि समूची जाति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। आयोग द्वारा सूचीबद्ध किये गए समुदाय उन विभिन्न कसौटियों पर खरे उतरे हैं जो किसी वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होने के संबंध में अभिनिश्चय करने के लिये न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई है।

(2) कुल 43% आरक्षण को अधिक नहीं समझा गया। यह बालाजी के मामले द्वारा निर्धारित की गई 50% सीमा के अन्दर था।